राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 516 सन 2017

अनवान :–

1. बृजलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. तुलछाराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. दलीप 3 रणजीत 4 बिमला पि0 तुलछाराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 34 की 5.3370हैक , खसरा न0 225 की 23.2690हैक कुल 28.6060हैक भूमि वादी के दादा नानुराम के नाम से दर्ज थी।

वादी के दादा नानुराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 1 है जिस पर वाद भूमि विरास्तन से ओद हुई प्रतिवादी संख्या 1 पर विरास्तन से भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजनीमा पेश किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा गणपतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के वाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया गया है जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा [illegible] के खसरा न0 24 की 5.3370हैक , खसरा न0 225 की 23.2690हैक कुल 28.6060हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. बृजलाल पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 तुलछाराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

2. दलीप 3 रणजीत 4 बिमला पि0 तुलछाराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 516 सन 2017 निर्णय दिनांक–07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 34 की 5.3370हैक , खसरा न0 225 की 23.2690हैक कुल 28.6060हैक भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब के खातेदार काश्तकार है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–फेफाना